

NEW TV RULES TIGHTEN COMPLIANCE

The revised 2026 telecom rules introduce graded civil penalties and stronger IPTV obligations while easing several provisions from the June consultation draft. The government has opened the revised framework for another round of stakeholder comments until October 2.

The Ministry of Information and Broadcasting has substantially expanded its proposed regulatory framework for television and radio, with the September 2026 version running to 76 pages compared with 43 pages in the June draft.

The revised Telecommunications (Television, Radio and Associated Services) Rules, 2026 retain the basic architecture of the earlier proposal while adding a more detailed compliance and enforcement framework. The most significant addition is Schedule 4, which categorises civil-penalty violations as non-severe, minor, moderate or major, depending on the nature and recurrence of the breach.

The listed violations include failures involving shareholding or FDI disclosures, key managerial personnel, channel branding, prolonged shutdowns, live-event registration, uplinking, unauthorised channels, platform registration and financial reporting.

The revised rules also modify the renewal provision. The earlier draft linked renewal restrictions to more than five breaches, while the September version specifies that such breaches must have been adjudicated.

IPTV faces additional obligations. Providers must retransmit only authorised channels and implement digital rights management with conditional-access functionality to help prevent television-channel piracy.

The revised rules additionally reference compliance with the Rights of Persons with Disabilities Act, introduce broader disclosure requirements concerning foreign personnel and alter the public-interest programming requirement for private radio.

Stakeholders have until October 2 to submit comments, leaving scope for further changes before the rules are finalised. ■

नियमों के पालन को सख्त करेंगे नये टीवी नियम

2026 के संशोधित दूरसंचार नियमों में अलग-अलग स्तर के सिविल जुर्माने और आईपीटीवी के लिए ज्यादा सख्त प्रावधान जोड़े गये हैं, साथ ही जून के परामर्श प्रारूप के कुछ प्रावधानों में ढील भी दी गयी है। सरकार ने इस संशोधित फ्रेमवर्क पर हितधारकों की राय जानने के लिए इसे 2 अक्टूबर तक ओपन रखा है।

सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने टीवी और रेडियो के लिये अपने प्रस्तावित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का काफी विस्तार किया है: सितंबर 2026 के संस्करण में 76 पेज हैं, जबकि जून के ड्राफ्ट में 43 पेज थे।

संशोधित दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध सेवायें) नियम, 2026 पूर्ववर्ती प्रस्ताव की मूल संरचना को बरकरार रखते हुए एक अधिक विस्तृत अनुपालन और प्रवर्तन ढांचा जोड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन अनुसूची 4 है, जो उल्लंघन की प्रकृति और पुनरावृत्ति के आधार पर नागरिक दंड उल्लंघनों को गैर-गंभीर, मामूली, मध्यम या गंभीर रूप में वर्गीकृत करती है।

सूचीबद्ध उल्लंघनों में शेयरधारिता या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खुलासे, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, चैनल ब्रांडिंग, लंबे समय तक बंद रहने, लाइव इवेंट पंजीकरण, अपलिंकिंग, अनधिकृत चैनल, प्लेटफॉर्म पंजीकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित विफलतायें शामिल हैं।

संशोधित नियमों में, नवीनीकरण प्रावधान में भी बदलाव किये गये हैं। पहले के मसौदे में नवीनीकरण प्रतिबंधों को पांच से अधिक उल्लंघनों से जोड़ा गया था, जबकि सितंबर के संस्करण में यह निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे उल्लंघनों का न्याय निर्णय होना आवश्यक है।

आईपीटीवी के लिए कुछ अतिरिक्त नियम भी हैं। प्रदायकों को सिर्फ अधिकृत चैनलों को ही दोबारा प्रसारित करना होगा और टीवी चैनलों की पायरेसी रोकने के लिए 'कंडिशनल एक्सेस' फंक्शनैलिटी के साथ 'डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट' लागू करना होगा।

संशोधित नियमों में 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम' का पालन करने का जिक्र भी है, विदेशी कर्मचारी से जुड़ी जानकारी देने की व्यापक जरूरतें शामिल हैं और प्राइवेट रेडियो के लिए जनहित से जुड़े कार्यक्रम दिखाने की शर्त में बदलाव किया गया है।

हितधारकों के पास 2 अक्टूबर तक अपना कमेंट्स जमा करने का समय है जिससे नियमों को अंतिम रूप देने से पहले और बदलाव की गुंजाइश बनी रहेगी। ■

